कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2018–19/एफसीए/तकनीकी/उवसं/1361 दिनांक 14-3-19

निमित्त्,

उप वन संरक्षक,
धौलपुर।

विषय–Diversion of 1.08 ha. Forest land for Construction of BT Road From Sirmathura jhiri raod km 09 to Mallpura village, District-Dholpur under Rajasthan Road Sector Modernization Project funded by World Bank. (FP/RJ/ROAD/15972/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Diversion of 1.08 ha. Forest land for Construction of BT Road From Sirmathura jhiri raod km 09 to Mallpura village District-Dholpur under RRSMP Scheme funded by World Bank. (FP/RJ/ROAD/15972/2015) ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बेवपोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार कमियों की पूर्ति वांछित है :–

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या B-1 में 9 प्रस्तावों में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होना अंकित किया गया है, किन्तु आज दिनांक तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं होने का कारण अंकित नहीं किया गया है। साथ ही आप द्वारा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर को ईडीएस रिप्लाई में उक्त 9 प्रस्तावों के सम्बन्ध में लिखा है कि यह प्रस्ताव धौलपुर वनमण्डल से सम्बन्धित नहीं है, फिर किस कारण से उक्त प्रस्तावों को पार्ट I के बिन्दु संख्या B-1 में दर्ज किया गया है।

2. उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में वन क्षेत्र की कैटेगरी ईको क्लास I दर्ज की गयी है जबकि ऑफलाईन प्रस्ताव में ईको क्लास III दर्ज है।

3. प्रस्ताव के पार्ट I में वनाधिकार दस्तावेजों में उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण दर्ज किया गया है, परन्तु उपखण्ड स्तरीय मूल वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

4. सी.ए.एन.एफ.एल. में 1100 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाने का प्रावधान मॉडल में है, जबकि सीए प्रस्ताव में मात्र 600 पौधे प्रति है. का ही प्रावधान रखा गया है। साथ ही उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा सडक निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के कुल 6 प्रस्तावों में 13 है. सीए प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक प्रस्ताव हेतु पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

5. उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा अपने अभिंशषा पत्र में यूजर एजेन्सी द्वारा किये गये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उल्लंघन हेतु भारी पी.सी.ए. की सिफारिश नहीं की गयी है व न ही मांग पत्र संलग्न किया गया है।

6. उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में भरे गये पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में संलग्न की जानी है।

7. प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न जी.टी.शीट सुस्पष्ट नहीं है।

8. प्रस्ताव की हार्ड प्रति में इण्डेक्सिंग में पार्ट II के दस्तावेजों को दर्ज नहीं किया गया है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में वनपाल नाका सरमथुरा के पत्रांक 03–06 दिनांक 22.10.16 के अनुसार यूजर एजेन्सी पी.डब्ल्यू.डी द्वारा पूर्व में वर्ष 2014 में ग्रेवल सडक निर्माण कार्य किया गया था, जिसे नोटिस क्रमांक 430 दिनांक 13.09.2014 द्वारा रूकवाया गया था। पुनः पक्की सडक का निर्माण वर्ष 2016 में करवाया गया है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पुनः उल्लंघन है। उक्त उल्लंघन के सम्बन्ध में एफ.आई. आर. 2649/18 दिनांक 17.10.16 जारी की गयी है। उक्त सडक निमार्ण के समय लगभग 150 पेड पौधों व

झाडियों का दोहन हुआ है। उक्त एफआईआर 2649/18 दिनांक 17.10.16 में घटना का दिनांक 11.04.16 अंकित है। उपरोक्तानुसार प्रकरण में उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? स्पष्ट करें । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु यूजर एजेन्सी/विभाग दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से उच्च कार्यालय/राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाया जाना था, जो कि आप द्वारा न किया जाकर मुआवजा वसूल कर केस कम्पाउण्ड कर दिया गया। स्पष्ट करे क्यों ? साथ ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बनध में प्रकरण में भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 29.01.18 के अनुसार कार्यवाही की जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

10. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उक्त उल्लंघन के दौरान लगभग 150 वृक्षों का दोहन हुआ है जबकि उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा पार्ट II में पेडों का पातन (ट्री फैलिंग) शून्य दर्ज किया गया है।

11. वनमण्डल धौलपुर के सडक निर्माण कार्य हेतु कुल 6 प्रस्तावों में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 13 है. वन भूमि के बदले जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा जो 13 है. गैर वन भूमि ग्राम गुढामुतावली में विभाग को दिया जाना प्रस्तावित है व गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त भूमि जी.टी.शीट में वनखण्ड कुदिन्ना में प्रदर्शित है अर्थात उक्त भूमि गैर वन भूमि न होकर वन भूमि होना प्रतीत होता है। स्पष्ट करें।

अतः प्रस्ताव की चार हार्ड प्रति (मूल प्रति सहित) लौटाकर लेख है कि प्रस्ताव प्रेषण से पूर्व गहन जॉच कर लें तथा उक्तानुसार कमियों के अलावा यदि प्रस्ताव में अन्य कोई कमी हो तो उनकी ऑनलाईन व हार्ड कॉपी में पूर्ति कराकर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :– उक्तानुसार प्रस्ताव की चार हार्ड प्रति।

भवदीय

(दिग्विजंय गुप्त)
वन संरक्षक
भरतपुर